न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 110/2016/225 आरटीए

1. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति लखारा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
2. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति लखारा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. राजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति लखारा निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री ओमप्रकाश पत्नि सुरेन्द्र जाति लखारा निवासी छानीबडी तहसील भादरा हाल निवासी हांसी तहसील हांसी।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. गंगा पुत्री ओमप्रकाश पत्नि बलवान जाति लखारा निवासी हाल बड़ाला तहसील हांसी।
2. जमना पुत्री ओमप्रकाश पत्नि इन्द्रसिंह जाति लखारा हाल चक देईदास पुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.05.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 132/15 अनवानी गंगा आदि बनाम ओमप्रकाश आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांक –09.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट सं. 1 खरीदशुदा भूमि है जो जरिये दानपत्र अपीलांट सं. 2 व 3 प्राप्त हुई, के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद स्थाई कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण अधिवक्ता अपीलांटस की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत व विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। रोही मौजा

चक 8 एएमएस के खाता सं. 18/17 के मु.न. 96 कि.न. 6,7,14,15,16,17,23,24,25 की कुल 2.277 है0 भूमि रिकार्ड मे अपीलांट सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज थी जो अपीलांट ने कीमतन दिनांक 06.05.68 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की थी। अपीलांट सं. 1 ने दिनांक 28.12.15 को अपनी स्वतंत्र इच्छा से उपपंजीयक छानीबड़ी के समक्ष उक्त भूमि मे से 1/2 हिस्सा अपीलांट सं. 2 को तथा 1/2 हिस्सा अपीलांट सं. 3 को दानपत्र स्वअर्जित भूमि करा दिया। वादग्रस्त भूमि हिन्दू मुश्तरका खानदान की जद्दी जायदाद होना प्रथम दृष्टया साबित नही थी। विचारण न्यायालय ने बैयनामा दिनांक 06.05.68 को आज तक किसी भी न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है। उक्त भूमि अपीलांट सं. 1 की स्वअर्जित भूमि थी। प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष मे था क्योंकि वादग्रस्त भूमि बैयनामा दिनांक 06.05.68 से अपीलांट की खरीदशुदा होना साबित थी। जो स्वअर्जित भूमि साबित थी जिसमे रेस्पो0 सं. 1 व 2 किसी तरह से उक्त भूमि मे कोपासर्नर नही थे तथा उन्हे वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई हासिल नही थी ना ही कॉज ऑफ ऐक्शन हाासिल था। रेस्पो0 ने वादग्रस्त भूमि का हिन्दू मुश्तरका खानदान की जद्दी जायदाद होने के कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया। भारतीय साक्ष्य विधि की धारा 114 के अनुसार सायल/रेस्पो. को दादालाई भूमि होना यानि हिन्दू मुश्तरका खानदान की होना राजस्व रिकार्ड से साबित करनी थी। परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष इस संबंध मे रेस्पो0 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया। वादग्रस्त भूमि के अपीलांट सं. 2 व 3 दानपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार थे एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन नही दिया जा सकता तथा दान पत्र पर रेस्पो0 की सहमति आवश्यक नही थी क्योंकि अपीलांट सं. 1 की उक्त भूमि खातेदारी व स्वअर्जित खरीदशुदा भूमि थी जिसे अपीलांट बैय करने/दानपत्र करवाने हेतु हर प्रकार से स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र खारिज योग्य था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि अपीलांट सं. 1 ओमप्रकाश के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 06.05.1968 को ओमप्रकाश द्वारा खरीदशुदा है। ओमप्रकाश द्वारा उक्त भूमि का दानपत्र दिनांक 28.12.2015 को अपीलांट सं. 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित करवाया गया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक अथवा कोपासर्नरी होने सम्बधी तथ्य का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध बैयनामा के अनुसार 06.05.1968 के अनुसार वादग्रस्त भूमि औमप्रकाश की स्वअर्जित भूमि होना साबित है।

रेस्पो0/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि पैतृक या जद्दी जायदाद हो और पूर्व मे पूर्वजो के नाम दर्ज रही हो। ऐसी स्थिति मे औमप्रकाश की स्वअर्जित भूमि मे औमप्रकाश की पुत्रियों का जन्म से हक हिस्सा निहित होना प्रथम दृष्टया सिद्ध नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

5. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2016 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़